सं.24/244/2014-पब्लिक
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 26 अगस्त, 2014

आदेश

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दाखिल अपील ।

जबकि श्री प्रवेश कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भेजे गये आवेदन पत्र दिनांक 09.06.2014 जो कि इस मंत्रालय के पब्लिक अनुभाग में इस मंत्रालय के आर.टी.आई. अनुभाग से दिनांक 25.06.2014 को प्राप्त हुआ था, में गीत "वन्दे मातरम" के संबंध में 4 बिन्दुओं में सूचना मांगी थी ।

2. जबकि श्री प्रवेश कुमार को इस मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.07.2014 द्वारा सूचना प्रदान कर दी गई थी।

3. जबकि श्री प्रवेश कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 30.07.2014 को अपील दाखिल की है, जो कि इस मंत्रालय में दिनांक 04.08.2014 को प्राप्त हुआ है। अपीलकर्ता ने अपनी अपील में यह उल्लेख किया है कि इस मंत्रालय के पत्र दिनांक 02.07.2014 द्वारा प्रदान की गई सूचना अपूर्ण एवं सही नही है। अपीलकर्ता ने पूर्ण एवं सही सूचना प्रदान कराए जाने के लिए अनुरोध किया है।

4. उक्त अपील का परीक्षण किया गया है। आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 09.06.2014 में मांगी गई सूचना समसंख्यक पत्र दिनांक 02.07.2014 द्वारा पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियन 2005 के अन्तर्गत केवल वही सूचना प्रस्तुत की जा सकती है जो कि केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के पास उपलब्ध हो । अतः इस मंत्रालय के केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र दिनांक 09.06.2014 के प्रतिउत्तर में समसंख्यक पत्र दिनांक 02.07.2014 द्वारा प्रदान की गई सूचना सही है ।

5. इस अपील का तदनुसार निस्तारण किया जाता है ।

26/8/14
(सतपाल चौहान)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
एवं अपीलीय प्राधिकारी
दूरभाषः 2309 3178

श्री प्रवेश कुमार,
535/6, जागृति विहार,
मेरठ, उत्तरप्रदेश।

प्रतिः अनुभाग अधिकारी (आई.टी. सेल), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को उपरोक्त अपील की एक प्रति के साथ इस मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

क्र. 3(आर)
CR-323576/JSCA/CVO/2014

"पंजीकृत डाक" (484) 30/07/014

सेवा में
श्रीमान प्रथम अपीलीय महोदय
गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली (भारत)

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील के क्रम में।

महोदय,
निवेदन यह है कि आवेदक प्रवेश कुमार 535/6 जागृति विहार मेरठ के द्वारा आपके विभाग से एक आर॰टी॰ आई दिनांक 09/06/014 को मांगी गयी थी। जिस जवाब में पत्रांक संख्या 24/249/2014-पब्लिक में आर॰टी॰ आई का जवाब भेजा गया है। जो कि अपूर्ण एवं सही नहीं है अत: सूचना आवेदक इस जवाब से संतुष्ट नहीं है।
महोदय, आप से अनुरोध है कि आप जन सूचना अधिकारी महोदय को पूर्ण एवं सही सूचनाएं उपलब्ध करवाने का आदेश देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी

सूचना आवेदक -
प्रवेश कुमार
535/6 जागृति विहार
मेरठ 250
दूरभाष - 08909178896

30/07/014

संलग्न - आवेदक के द्वारा मांगी गयी आर॰टी॰ आई की छाया प्रति।
(ख) आपके विभाग के द्वारा भेजी गयी आर॰टी॰ आई के जवाब की छाया।
(ग) प्रधान मन्त्री कार्यालय के द्वारा पत्राचार की छायाप्रति
// समाप्त ///

First appeal
पुलिस
DS
US
जुलाई
05/08
श्री विकास

सं.24/244/2014-पब्लिक
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 2 जुलाई, 2014

सेवा में,

श्री प्रवेश कुमार,
535/6, जागृति विहार,
मेरठ, उत्तरप्रदेश।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना ।

महोदय,

कृपया आप अपने उपरोक्त विषयक पत्र दिनांक 09.06.2014 जो कि इस मंत्रालय के पब्लिक अनुभाग में इस मंत्रालय के आर.टी.आई. अनुभाग से दिनांक 25.06.2014 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें । आपका उक्त आवेदन पत्र इस मंत्रालय में प्रधान मंत्री कार्यालय से अंतरण द्वारा प्राप्त हुआ था । आपके द्वारा आवेदन पत्र के बिन्दु (क) से (घ) में वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराया जाता है कि भारत का राष्ट्रगान "जन-गण-मन" भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी, 1950 को अंगीकार किया गया था तथा गीत "वन्दे मातरम्" को इसके समान दर्जा प्राप्त है । गीत "वन्दे मातरम" के गायन के लिए कोई दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य सूचना इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

2. इस मामले मे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा नं 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

श्यामला मोहन

(श्यामला मोहन)
निदेशक एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

प्रतिः अनुभाग अधिकारी (आई.टी. सेल), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को उपरोक्त आवेदन पत्र की एक प्रति के साथ इस मंत्रालय के बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

30/07/2014

[illegible]

सं. ए-43020/[illegible]/2014-[illegible]

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 24/06/2014

358

सं. 299730 [illegible]

Dy No ....

दिनांक/Date 30/6/14

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री ~~श्रीमती/सुश्री~~ प्रदेश कुमार
....का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री ~~श्रीमती/सुश्री~~ प्रदेश कुमार के दिनांक 09/06/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में ......प्रधानमंत्री कार्यालय...... से अंतरण द्वारा दिनांक 17/06/2014 को प्राप्त) को ....प्रशासन............ प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

प्रधानमंत्री कार्यालय में

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क ~~[illegible] /2014 की रसीद~~ ~~[illegible]~~ ~~के तहत~~ जमा कर दिया है ~~[illegible]~~

संलग्नक : यथोपरि

सु. सामंत

([illegible])

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (एडमिन)

जल संसाधन

मंत्रालय, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित

श्री ~~श्रीमती/सुश्री~~ प्रदेश कुमार

535/6 [illegible]

[illegible] (उ.प्र.)

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

(Adv) - on leave

[illegible] 25/06

26/6

[illegible] 30/06/14

[illegible] 30/06 Ms. Vikash

C-29167/HS/14
13.06.

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/3123/2014-पीएमआर

दिनांक: 12/06/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री प्रवेश कुमार से प्राप्त दिनांक 9.6.2014 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 11.6.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(सैयद इकराम रिज़वी)
उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री प्रवेश कुमार
535/6 जागृति विहार
मेरठ, उत्तर प्रदेश

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

16/6/14

17/6/14

US

SO(RTI)

Dir (A&V)

3 23/14-12 10/6/14

URGENT
RTI ACT
Diary No. 17999
& Date 11.06.14
Last Date 16/07/14

3/23/14

प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office
11 JUN 2014
डाक अनुभाग
DAK SECTION

सेवा में
श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय
प्रधान मन्त्री कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली (भारत)

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के क्रम में।

महोदय,

निवेदन है कि सूचना आवेदक प्रवेश कुमार 535/6 जागृति-विहार मेरठ उ०प्र० सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत "वंदेमातरम्" गीत के सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है। आपसे अनुरोध है कि आप सूचना आवेदक को निम्न सूचनाएं उपलब्ध करवाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी

सूचनाएं बिन्दु -

(क) क्या "वंदेमातरम्" गीत भारत का राष्ट्रीय गीत है?

(ख) क्या भारत के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों एंव संवैधानिक पदों पर विराजमान व्यक्तियों के लिए "वंदेमातरम्" गीत का गान भारतीय संविधान के अनुसार अनिवार्य है?

(ग) यदि कोई जनप्रतिनिधि सरकारी अधिकारी कर्मचारी या संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति "वंदेमातरम्" गीत के गान के समय जान-बूझकर गान को बीच में छोड़कर या गान के प्रारम्भ होने से पूर्व ही सभा या समारोह आदि को छोड़कर चला जाता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार क्या कार्यवाही का प्रावधान है?

(घ) यदि "वंदेमातरम्" गीत भारत का राष्ट्रीय गीत नहीं है तो यह भारतीय संसद एंव अन्य संवैधानिक सभाओं आदि में क्यों गाया जाता है?

सूचना आवेदक
प्रवेश कुमार 535/6 जागृति-
विहार मेरठ उ०प्र०
दूरभाष क्रमांक - 08909678896

प्रवेश कुमार
09/06/014

संलग्न: दस रु० का भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक 17F-946914 / / / / / / / / / समाप्त / / / / / / / / / /

IPO No. 17F 946914 ₹ 210 -

[signature] 16/06/14